संख्या: 3092/79–6–07

प्रेषक,

सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–(6) **लखनऊ दिनांक: 28 नवम्बर, 2007**

विषय: स्वयं सहायता समूह के द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के वितरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा संचालित किया जा रहा है। भोजन पकाने एवं समय से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम प्रधानों को सौंपा गया हैं। जनपदीय बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक, टास्क फोर्स के नोडल अधिकारियों के निरीक्षण तथा समाचार पत्रों के द्वारा यह बात संज्ञान में आयी है कि कतिपय ग्राम प्रधानों द्वारा योजना के संचालन में पर्याप्त रूचि नहीं ली जाती है, जिसके कारण कतिपय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम कभी–कभी हो जाता है। अतः उन विद्यालयों के छात्रों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों में यदि ग्राम प्रधानों द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम में पर्याप्त रूचि न लिए जाने के तथ्य जनपदीय/ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के निरीक्षण में संज्ञान में आते हैं तथा वे जांचोपरान्त वास्तविक सिद्ध होते है तो जिलाधिकारी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एक माह की परिवर्तन लागत की धनराशि के बराबर धनराशि बैंक गारण्टी उपलब्ध कराये जाने की शर्त पर जनपद के स्थानीय ग्राम सभा में संचालित स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम का संचालन ग्राम प्रधान के विकल्प के रूप में सौंपा जाय, इस प्रकार मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में उन्हीं स्वयं सहायता समूहों को योजित किया जाय, जिनकी पूर्व में जनपद में कार्य करने की अच्छी ख्याति हो तथा ग्राम्य विकास के अन्य कार्यों को करने का वृहद अनुभव हो।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
ह0
(राज प्रताप सिंह)
सचिव

पृ0सं0: 3092(1)/79–6/2007–08, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
ह0
(संतोष कुमार यादव)
विशेष सचिव